18/3/26

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

GCMS
2025/553

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.19 13:36:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी,सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बइजलासः बी.जे.मीणा आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 233/2025 GCMS:-2025/553

अनवानः—

रज्जाक मोहम्मद पुत्र खुशी मोहम्मद जाति तेली निवासी वार्ड नं0 1 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

———प्रार्थी

बनाम

1. इन्द्राज पुत्र काशीराम जाति बिश्नोई निवासी ग्राम माणकसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. गोपीराम पुत्र गंगाबिशन जाति बिश्नोई निवासी ग्राम माणकसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. छतुराम पुत्र सुरजाराम जाति बिश्नोई निवासी ग्राम माणकसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. राजेन्द्र पुत्र भगवानाराम जाति बिश्नोई निवासी ग्राम माणकसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. राजाराम पुत्र काशीराम जाति बिश्नोई निवासी ग्राम माणकसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
6. श्रवण कुमार पुत्र सुरजाराम जाति बिश्नोई निवासी ग्राम माणकसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
7. संजयपाल पुत्र जयपाल जाति बिश्नोई निवासी ग्राम माणकसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
8. संदीप पुत्र जयपाल जाति बिश्नोई निवासी ग्राम माणकसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
9. सावित्री पत्नी जयपाल जाति बिश्नोई निवासी ग्राम माणकसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
10. प्रबन्धक, एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड शाखा सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
11. प्रबन्धक, केनरा बैंक शाखा सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
12. प्रबन्धक, इंडियन बैंक शाखा सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
13. श्रीमान तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

———अप्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.19 13:36:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा— 251 [क] राजस्थान काश्तकारी अधि0,1955

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उपस्थितीः–

श्री बाबूलाल चाण्डक अधिवक्ता प्रार्थी

श्री सुभाषचन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1,3,5

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 10

पेरोकारराज।

निर्णय   दिंनाकः 18/03/2026

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–251 क आर0टी0ए0 जरिए अभिभाषक प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से राजस्व तहसील सूरतगढ़ के चक 37 पी.बी.एन. के संयुक्त खाता संख्या नया–76/7 के प0नं0 35/378 [18] के कि0नं0 10/3/,10/4 प0नं0 37/377 [4] के कि0नं0 19 ता 22, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2 एंव 37/378 [16] के कि0नं0 1 ता 4, 5/1,5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 12, 13/2 में स्थित कुल 4.389 है0 नाली दोयम मय खाला खातेदारी कृषि भूमि में 3422/4389 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अपने कथन की पुष्टि में प्रमाणित नकल जमाबन्दी चक 37 पी.बी.एन. संयुक्त खाता संख्या– 76/7 सम्वत 2073–2076 इस प्रार्थना–पत्र के साथ बतौर साक्ष्य प्रस्तुत है।

इसी प्रकार एक अन्य एकल खाता में प्रार्थी के नाम से चक 37 पी.बी.एन. के खाता संख्या–6/8 के प0नं0 37/378 [16] के कि0नं0 13/1 ता 23/1 में कुल 2.543 है0 मय खाला खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपने दर्ज हिस्सानुसार/एकल खाता की खातेदारी कृषि भूमि पर शांन्तिपूर्वक ढ़ंग से काबिज काश्त है। इस सबंध में किसी भी प्रकार का कोई विवाद भी नहीं है।

अप्रार्थीगण के नाम से चक 37 पी.बी.एन. के संयुक्त खाता संख्या–41/4 में प0नं0 36/378 [17] के कि0नं0 1/1 ता 4/2, 8 ता 14, 18 ता 21 व प0नं0 37/378 [16] के कि0नं0 23/2 ता 25/2 व प0नं0 37/379 [29] के कि0नं0 1 ता 22, 25 व प0नं0 38/379 [30] के कि0नं0 2 ता 9, 12 ता 25/2 एंव प0नं0 38/380 [37] के कि0नं0 4/3 ता 5/2 में स्थित कुल 15.611 है0 नाली दोयम मय खाला व रास्ता खातेदारी कृषि [illegible]–अपने हिस्सानुसार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी के धारण के उपरोक्त खातेदारी [illegible] व [मद संख्या–3 में वर्णित] के समीपवर्ती ही अप्रार्थीगण की [illegible] खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जिसके पत्थर नम्बर 38/379 [30] के कि0नं0 [illegible]/1, 15/1, 16/1, 25/1 प्रत्तेक में से 0.0250 है0–0.0250 है0 भूमि उतर दिशा से दक्षिण दिशा में मोके पर रास्ता हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.19 13:36:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

स्वीकृत है एंव मोके पर चालु भी है। अपने उक्त कथनों की पुष्टि में नजरी नक्शा संलग्न प्रार्थना–पत्र है।

प्रार्थी को अपने धारण की उपरोक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि तक आने जाने एंव कृषि साधनों के पहुंचने हेतू प0नं0 38/379 [30] के कि0नं0 5,15,16,25 में स्वीकृत शुदा मार्ग ही सबसे निकटतम मार्ग है। एंव इसी मार्ग का उपयोग भी करता आ रहा है। किन्तु प0नं0 38/379 [30] के कि0नं0 6 में रास्ता हेतु भूमि का अंकन राजस्व रिकार्ड में ना होने के कारण अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी के आवागमन में आए दिन भिन्न–भिन्न तरिके से अवरोध पैदा किया जा रहा है। जिससे प्रार्थी को अपने खातेदारी रकबे तक आवागमन करने में काफी असुविधा हो रही है। प्रार्थी को अपने खातेदारी रकबे तक कृषि साधनों को लाने–ले जाने हेतु अन्य निकटतम कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को मजुंरशूदा मार्ग से अपने खातेदारी रकबे तक पहुंचने के लिए चक 37 पी.बी.एन. के प0नं0 38/379 [30] के कि0नं0 6 में से 0.0250 है0 भूमि [कि0नं0 5 से चिपते हुए] उतर–दक्षिण दिशा की तरफ से पूर्व दिशा की ओर रास्ता हेतु भूमि की आवश्यकता है। ताकि प्रार्थी अपने भौतिक कब्जा काश्त के रकबे तक आसानी से आवागमन कर सके। इसके अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई विकल्प भी नहीं है। प्रार्थी के द्वारा चाहे गए अनुतोष को स्वीकृत किए जाने की ऐवज में श्रीमान न्यायालय के आदेशानुसार प्रार्थी रास्ता हेतु स्वीकृत कृषि भूमि के बदले नियमानुसार डी.एल.सी. की दुगनी राशि अथवा भूमि के बदले भूमि जो भी न्यायालय निश्चित करे, प्रार्थी देने हेतु सहमत है। अतः प्रार्थी को चक 37 पी.बी.एन. के प0नं0 38/379 [30] के कि0नं0 6 में 0.0250 है0 भूमि उतर–दक्षिण दिशा में [कि0नं0 5 से चिपते हुए] पूर्व दिशा की तरफ रास्ता हेतु स्वीकार फरमाई जावे।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या– 1,3,5,10 अपने अभिभाषक के माध्यम से पत्रावली पर पेश हुए। शेष अप्रार्थीगण बावजुद सूचना उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या–1,3,5 ने तथा अप्रार्थी संख्या–10 ने अपना–अपना जवाब प्रार्थना–पत्र पत्रावली पर पेश किया। जो शामिल मिसल किया गया। जेरकार प्रकरण की बाबत तहसीलदार सूरतगढ़ से रिर्पोट चाही गई जो प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गई।

तत्पश्चात प्रकरण में उभय पक्षकारान की अंतिम बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दोराने बहस अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर रास्ता मंजुर किए जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक द्रष्टांत आर.आर.डी.2015 पेज 628 पर प्रकाशित निर्णय भी पेश किया। वकील अप्रार्थीगण ने बहस में निवेदन किया कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज अप्रार्थी भगवानाराम ... फौत हो चुका है। प्रार्थी द्वारा उनके वारीसों को पक्षकार नहीं बनाया है अतः प्रार्थना–पत्र निरस्त योग्य है। साथ ही निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते का मिलान कहीं भी नहीं हो रहा है। जब तक उक्त रास्ता सूरतगढ़ हनुमानगढ़ राज्य मार्ग से नहीं जोड़ा जाता है तब तक उक्त रास्ते का कोई सार नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.19 18:36:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

हमने उभय पक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन किया। तहसील से प्राप्त मोका रिर्पोट में स्पष्ट है कि प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी के लिए आत्यांतिक आवश्यकता का है एंव अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है ओर ना ही वर्तमान में प्रस्तावित रास्ता की भूमि पर किसी प्रकार का विवाद अथवा स्थगन है। हमारे विचार में एक किसान के लिए अपनी कृषि भूमि के समुचित विकास के लिए रास्ता व खाला आधारभूत आवश्यकता होती है। फलस्वरूप प्रार्थी का धारा– 251 क आर0टी0ए0 का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एंव आदेश दिया जाता है कि चक 37 पी.बी.एन. के प0नं0 38/379 [30] के कि0नं0 6 में 0.0250 है0 भूमि उतर–दक्षिण दिशा में [कि0नं0 5 से चिपते हुए] पूर्व दिशा की तरफ रास्ता हेतु स्वीकार फरमाई जाती है। तहसीलदार सूरतगढ़ को आदेश दिया जाता है कि उक्त रास्ता हेतु स्वीकृत भूमि को वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता भूमि दर्ज किया जावे व मोका पर रास्ता चालु करावें। जिससे कि इस मुरब्बा में पहले से मंजुर कि0नं0 5,15,16,25 की गै0म0 रास्ता की भूमि से उचित मिलान होना संभव हो सकेगा। एंव आवागमन की सुविधा बाधित नहीं होगी। अप्रार्थीगण की प0नं0 38/379 [30] के कि0नं0 6 में 0.0250 है0 भूमि जो कि गै0मु0 रास्ता हेतु स्वीकृत की गई है, के बदले में प्रार्थी की चक 37 पी.बी.एन. के प0नं0 37/378 [16] के कि0नं0 23/1 में 0.0250 है0 भूमि पूर्व दिशा की तरफ उतर से दक्षिण दिशा में अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। जिससे कि अप्रार्थीगण की कृषि भूमि भी इकजाई रह पावेगी।

निर्णय आज दिंनाक 19/03/2026 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली तरतीब तकमिल दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलेक्टर एंव

उपखण्ड अधिकारी

सूरतगढ़।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.19 13:36:06 IST
Reason: SelfAttested